भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1106
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

रामपुर, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर के स्कूलों में कम जीईआर

†1106. **श्री मोहिब्बुल्लाहः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में माध्यमिक स्तर पर कम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त जिले में कम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है;
(ग) उपर्युक्त जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान अपग्रेड किए गए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान जिले में अपग्रेड किए गए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्कूलवार नामांकन और शिक्षक उपलब्धता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के रूप में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यू-डाइज+) का अनुरक्षण करता है। यू-डाइज+ प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी स्कूलों (सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी) से सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) सहित विभिन्न शैक्षिक संकेतकों संबंधी आंकड़े एकत्र करता है।

स्कूल शिक्षा के विनिर्दिष्ट स्तर में जीईआर कुल नामांकन है, उनकी उम्र की परवाह किए बिना, जिसे एक स्कूल वर्ष में उस स्तर के अनुरूप आधिकारिक आयु समूह में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले जनसंख्या आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डबल्यू) द्वारा प्रकाशित जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट (टीजीपीपी-जुलाई 2020) से लिए गए हैं।

चूंकि गणना हेतु जनसंख्या को विभाजक के रूप में आवश्यक माना जाता है, तथा टीजीपीपी की रिपोर्ट में जिला-वार जनसंख्या अनुमान उपलब्ध नहीं कराया जाता है, इसलिए यूडाइज+ में जिला-वार जीईआर का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ख) यह विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्रीकृत प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना प्री -प्राइमरी से कक्षा XII तक कोई विभाजन किए बिना स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से देखती है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल शिक्षा के समग्र नामांकन अनुपात बढ़ाने सहित सर्वसुलभीकरण के लिए विभिन्न गतिविधियों शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उनका सुदृढ़ीकरण, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल अवसंरचना का विकास/ सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी हेतु छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, असंतृप्त एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों के लिए नि:शुल्क यूनिफॉर्म और नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन एवं प्रतिधारण अभियानों का संचालन शामिल हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों की शिक्षा पूरी करने में सहायता हेतु उन्हें औपचारिक स्कूल प्रणाली में शामिल किया जा सके। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुखी घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री तथा दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं (स्कूलों के उन्नयन सहित) के अनुसार वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती है। इसके पश्चात इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानकों तथा राज्य की पूर्व में स्वीकृत पहलों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्कूल(स्कूलों) के उन्नयन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****